



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



PGCIL/R/2019/M-51a

दिनांक: 16 October, 2019

Shri Anil Kumar,

Anil Kumar, S/o Shri Sheelchand Tyagi, Village & Post - Khayikheri, District - Muzafarnagar - Uttar Pradesh - 251310

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 3 October, 2019 को प्रेषित अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-1 में संलग्न है।


यदि आप केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हो तो, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केन्द्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री संजीव सिंह,

कार्यपालक निदेशक (सी एम जी) एवं अपील प्राधिकारी
केन्द्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
"सौदामिनी", प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।
ईमेल आईडी: sanjeev@powergridindia.com
फोन नंबर: 0124-2571962

धन्यवाद,

भवदीय,


(जसबीर सिंह) 16/10/19

वरिष्ठ महाप्रबंधक(के.आ.) व के.लो.सू.अधिकारी

Email id: cpio.cc@powergrid.co.in

विषय: आर.टी.आई अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्रस्तुत करने के लिए स्वीकृति : अपेक्षितकर्ता श्री अनिल कुमार।

सूचना निवेदक - श्री अनिल कुमार।

सवाल 1: तमाम औपचारिकताएं निर्देशानुसार पूर्ण कर देने के बावजूद भी आज तक भी उनकी यह पेंशन किस कारण से आरम्भ नहीं हो सकी, प्रार्थी यह जानना चाहता है।

जवाब : श्री अनिल कुमार के पेंशन दावा दिनांक 06.02.2018 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ) आफिस में भेजा गया था, जो कि 28.02.2018 को मूल पेंशन स्कीम प्रमाणपत्र संलग्न ना होने के कारण अस्वीकार हो गया था। अतः दिनांक 18.04.2018 को श्री अनिल कुमार जी को मूल पेंशन स्कीम प्रमाणपत्र या शपथ पत्र (एफिफडेभिट सह इंडेमनीटी बॉन्ड) भेजने के लिये निवेदन किया गया। तत्पश्चात, श्री अनिल कुमार जी द्वारा भेजा गया मूल शपथ पत्र (एफिफडेभिट सह इंडेमनीटी बॉन्ड) दिनांक 30.04.2018 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, दिल्ली में स्थित कार्यालय में भेजा गया था ताकि उनकी पेंशन शुरू हो सके।

सवाल 2. और यह पेंशन कब तक मिल, या चालू हो सकेगा ?

जवाब : यह पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत (ई.पी.एफ.ओ) के कार्यालय, ईपीएफओ कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नंबर: 23, सेक्टर -23, द्वारका, नई दिल्ली से ही दिया जाना है। इस संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज ई.पी.एफ.ओ कार्यालय को भेजे जा चुके हैं। अतः यह तात्कालिक मामला के पेंशन संबंधित आगे की जानकारी ई.पी.एफ.ओ कार्यालय से प्राप्त कि जा सकती है।

उमेश पाल सिंह
16/10/2019